कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2557 /11–सी–**FP/UP/Others/39656/2019**, लखनऊ, दिनांकः जून 25 ,2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
सा0वा0 सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषयः– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्राम–प्यारेपुर सरैया, तहसील–नवाबगंज, जनपद–बाराबंकी के गाटा सं0–207मि0 व 208 मि0 में लखनऊ–फैजाबाद मार्ग एन0एच0–28 (नया एन0एच0–27) के किमी0 42–43 (चैनेज–42.434) के मध्य दांयी पटरी पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण में प्रभावित 0.150691 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UP/Others/39656/2019**)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–4781/14–10, दिनांक 24.06.2019

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया।, जिसके परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की सूची/सारांश ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित नहीं है।
2. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत 100 वृक्षों के वृक्षारोपण का 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जोकि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करते हुये बाधक वृक्षों के दस गुने अर्थात 340 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें तथा प्राक्कलन की धनराशि हार्ड कापी भाग–2 व ऑनलाइन भाग–2 में भी संशोधित करे।
3. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की SoI Toposheet अपूर्ण/आधी अधूरी अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित 1:50000 माप की पूर्ण (Full) एस0ओ0आई0 टोपोशीट अपलोड करे।
4. ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल के के0एम0एल0 फाइल में चयनित स्थल का क्षेत्रफल 0.30 हे0 है जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन, उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में चयनित स्थल का क्षेत्रफल 0.05 हे0 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः 340 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु स्थल का सही क्षेत्रफल क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन, उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में अंकित करते हुये इससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख यथा स्थान पर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
5. भारत सरकार के पत्रांक एफ0नं0–11–268/2014–एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रस्ताव की एक प्रति में संलग्न प्रमाण पत्र में प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।
6. प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट–1 संलग्न किया गया है। अतः पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव से हटाकर सही ऑनलाइन पार्ट–1 संलग्न करे।
7. हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक–7(iv) में वृक्षों की संख्या रिक्त दर्शायी गयी है, जबकि परियोजना में बाधक 34 वृक्षों का पातन निहित है। अतः इस विषमता को दूर करते हुये संशोधित हार्डकापी भाग–2 संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
8. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–14 में जिले की प्रोफाइल में विवरण त्रुटिपूर्ण एवं भिन्न–भिन्न फीड किया गया है। अतः हार्ड कापी भाग–2 के अनुसार एक समान सही विवरण फीड करे।

Acy-1471

आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रभागीय निदेशक द्वारा लापरवाही दिखाते हुये प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका परीक्षण किसी भी स्तर पर नहीं गया है। कृपया भविष्य में प्रस्ताव भेजते समय उचित परीक्षण करा लें। इससे न केवल अनावश्यक समय की बरबादी होती है, अपितु परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब भी होता है।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

25/6

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2557 /11–सी–FP/UP/Others/39656/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बाराबंकी।
2. वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), लखनऊ मण्डलीय कार्यालय, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1472